सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00090

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 32/2018

1. सविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरमंगत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. हरभजन कौर पत्नी स्व. श्री गुरमंगत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 सी.सी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरमंगत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 सी.सी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजस्व भू0अ0 तहसीलदार पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 7 एल.आर.एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 27.04.2018, 01.05.2018 व इन्तकाल संख्या 487/1.05.2018 को चक 5 सीसी के खाता संख्या 18,20,35 और 38 के मुरब्बा नम्बर 8,41,25,53,5,9,10, 24,7,25 के कुल रकबा 7.396 हैक्टर भूमि का विरास्तन इंतकाल अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, को करने निरस्त

उपस्थित :

1.श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 02
3.श्री दिनेश वधवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 01

:: आदेश :: दिनांक :– 12.03.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता गुरमंगत सिंह के नाम चक 5 सी.सी. के खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 41 की 1.003 हैक्टर खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 8,25,53, की 2.251 हैक्टर और खाता संख्या 38 के मुरब्बा नम्बर 7,26 की 1.992 हैक्टर व खाता संख्या 18 के मुरब्बा नम्बर 5,9,10,24 की 2.150 हैक्टर कृषि भूमि अपीलांट के पिता गुरमंगत सिंह के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज थी जो स्वयं की खरीदशुदा थी, उक्त भूमि का अपीलांट को बिना सुने दिनांक 01.05.2018 को विरास्तन इंतकाल दर्ज कर दिया। आदेश दिनांक 27.04.2018, 01.05.2018 व इन्तकाल नम्बर 487/1.5.2018 खिलाफ कानून, खिलाफ शहादत व रूएदा मिसल होने के कारण काबिले निरस्ती है। अपीलांट के पिता स्व. श्री गुरमंगत सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.03.2018 को खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 41 का 1.003 है0 खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 8,25,53, की 2.251 हैक्टर और खाता संख्या 38 के मुरब्बा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नम्बर 7,26 की 1.992 हैक्टर कृषि भूमि की गिफ्टडीड अपीलांट के हक में तहरीर व तकमील करवायी जिसका पंजीयन उप पंजीयन अधिकारी, पदमपुर में दिनांक 20.03.2018 को अपीलांट के पिता गुरमंगत सिंह ने अपीलांट के हक में करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को इसका ज्ञान था कि मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति की गिफ्टडीड अपीलांट के नाम से करवा दी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने गिफ्टडीड की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 16.04.2018 को उप पंजीयक अधिकारी पदमपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को गिफ्टडीड का ज्ञान होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह तथ्य छुपाकर विरास्तन इंतकाल करवाया है जो कानूनन गलत है। चक 5 सीसी के खाता संख्या 18 के मुरब्बा नम्बर 5,9,10,24 का विवाद उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरनपुर कैम्प पदमपुर द्वारा दिनांक 22.09.2006 को अपने निर्णय मिसल संख्या 28/2005 अनवानी गुरमंगत सिंह आदि बनाम औंकार सिंह में स्थगन आदेश जारी किया। यह प्रकरण अब भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश जारी है। स्थगन आदेश के बावजूद भी अपीलकृत आदेश जारी किया गया जो कानूनन गलत है। दिनांक 01.05.2018 को चक 5 सी.सी. के खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 41 की 1.003 हैक्टर खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 8,25,53, की 2.251 हैक्टर और खाता संख्या 38 के मुरब्बा नम्बर 7,26 की 1.992 हैक्टर कृषि भूमि मृतक गुरमंगत सिंह के नाम से ही नहीं थी चूंकि मृतक श्री गुरमंगत सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.03.2018 को जिस भूमि की गिफ्टडीड अपीलांट के नाम से करवा दी थी। गिफ्टडीड की दिनांक से इस भूमि के सभी खातेदारी अधिकार अपीलांट के हक में निहित हो गये। स्व. श्री गुरमंगत सिंह का इस भूमि में कोई हक व हकूक नहीं रहा। इस कारण दिनांक 01.05.2018 को इस भूमि का विरास्तन इंतकाल वारिसान के नाम से नहीं हो सकता। अदालत मातहत द्वारा मुझ अपीलांट को बिना सुने व बिना कानूनी प्रकिया अपनाये और बिना कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवाये अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नाम से विरास्तन इंतकाल कर दिया जो कानूनन गलत है अदालत मातहत द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की उल्लधंना की है। अपीलांट द्वारा दिनांक 20.03.2018 को गिफ्टडीड अपीलांट के हक में होने के पश्चात गिफ्टडीड की प्रति तहसीलदार को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करवाने हेतु दे दी थी मगर तहसीलदार द्वारा मेरी गिफ्टडीड पर अभी कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अभी तक मेरा मामला विचाराधीन था इस बीच अदालत मातहत द्वारा मेरी पीठ पीछे मुझे बिना सुने अपीलकृत आदेश व इंतकाल दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 27.04.2018 व 01.05.2018 व इंतकाल संख्या 487/1.05.2018 निरस्त फरमाया जावें और मुझ अपीलांट के नाम से गिफ्टडीड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने दौरान बहस फहरिस्त दस्तावेजा पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता स्व. श्री गुरमंगत सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.03.2018 को खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 41 का 1.003 है0 खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 8,25,53, की 2.251 हैक्टर और खाता संख्या 38 के मुरब्बा नम्बर 7,26 की 1.992 हैक्टर कृषि भूमि की गिफ्टडीड अपीलांट के हक में तहरीर व तकमील करवायी जिसका पंजीयन उप पंजीयन

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिकारी, पदमपुर में दिनांक 20.03.2018 को अपीलांट के पिता गुरमंगत सिंह ने अपीलांट के हक में करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को इसका ज्ञान था कि मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति की गिफ्टडीड अपीलांट के नाम से करवा दी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने गिफ्टडीड की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 16.04.2018 को उप पंजीयक अधिकारी पदमपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को गिफ्टडीड का ज्ञान होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह तथ्य छुपाकर विरास्तन इंतकाल करवाया है जो कानूनन गलत है। चक 5 सीसी के खाता संख्या 18 के मुरब्बा नम्बर 5,9,10,24 का विवाद उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरनपुर कैम्प पदमपुर द्वारा दिनांक 22.09.2006 को अपने निर्णय मिसल संख्या 28/2005 अनवानी गुरमंगत सिंह आदि बनाम औंकार सिंह में स्थगन आदेश जारी किया। यह प्रकरण अब भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश जारी है। स्थगन आदेश के बावजूद भी अपीलकृत आदेश जारी किया गया जो कानूनन गलत है। दिनांक 01.05.2018 को चक 5 सी.सी. के खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 41 की 1.003 हैक्टर खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 8,25,53, की 2.251 हैक्टर और खाता संख्या 38 के मुरब्बा नम्बर 7,26 की 1.992 हैक्टर कृषि भूमि मृतक गुरमंगत सिंह के नाम से ही नहीं थी चूंकि मृतक श्री गुरमंगत सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.03.2018 को जिस भूमि की गिफ्टडीड अपीलांट के नाम से करवा दी थी। गिफ्टडीड की दिनांक से इस भूमि के सभी खातेदारी अधिकार अपीलांट के हक में निहित हो गये। स्व. श्री गुरमंगत सिंह का इस भूमि में कोई हक व हकूक नहीं रहा। इस कारण दिनांक 01.05.2018 को इस भूमि का विरास्तन इंतकाल वारिसान के नाम से नहीं हो सकता। लिहाजा अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.04.2018 व 01.05.2018 व इंतकाल संख्या 487/1.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निम्न नजीर पेश की गई :–

1. आर.आर.डी. 2012 पेज–420–422
2. आर.आर.डी. 2011 पेज–275–278
3. 2019 डी.एन.जे.(रेवेन्यू) पेज–186–189
4. आर.आर.डी. जून–जुलाई,2003 पेज–275–276

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौरान बहस फहरिस्त दस्तावेजात पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पडदादा श्री मलूक सिंह पुत्र श्री वहरियाम सिंह, जो पूर्व में पंजाब के गांव तनहन, तहसील व जिला जलन्धर से राजस्थान में आए थे, वादी के पड़दादा के नाम पंजाब के तनहन में कृषि भूमि थी , राजस्थान में महाराजा गंगासिंह के द्वारा गंगकैनाल के निर्माण के बाद वादी के बूजर्गो द्वारा पंजाब की पैतृक सम्पति की आय से चक 6 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में कृषि भूमि कय की गई जो सम्वत् 1991 यानि सन् 1934 मे खरीद की। वादी के पड़दादा ने मलकियत सिंह सुच्चा सिंह पिसरान बन्ता सिंह कौम जटसिख के नाम बहिस्सा बराबर एवं वादी के दादा लछमण सिंह, साधु सिंह पिसरान मलूक सिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करवा दी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी एवं रेस्पोडेन्ट के परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है।

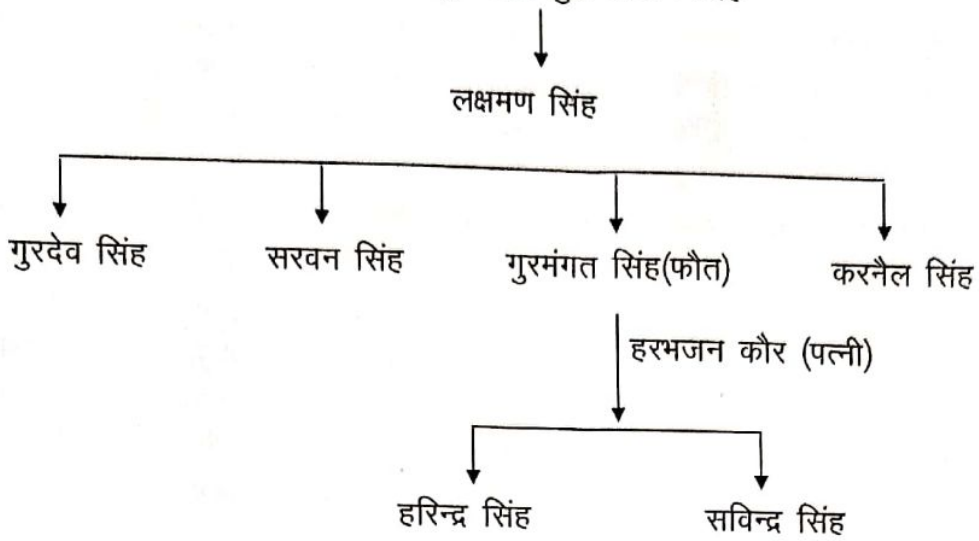

रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किए गए दस्तावेजो से प्रमाणित है कि चक 5 सीसी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 18/17 के मुरब्बा नम्बर 5,9,10,24 की 8.602 यानि 34 बीघा भूमि में 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पिता गुरमंगत सिंह एवं शेष 3/4 रेस्पोडेन्टस के पिता के भाइयों गुरदेव सिंह एवं सरवन सिंह के नाम दर्ज है एवं इसी चक के खाता संख्या 20/20 मुरब्बा नम्बर 41 कुल 4.012 हेक्टर में से गुरमंगत सिंह एवं लक्ष्मण सिंह के नाम 1/2 हिस्सा यादि 2.006 में गुरमंगत सिंह के नाम 1.003 हैक्टर भूमि दर्ज है एवं खाता संख्या 35/32 मुरब्बा नम्बर 8,25,53 की 18.725 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट के चाचा सरवन सिंह एवं उनके पिता गुरमंगत सिंह एवं लक्ष्मण सिंह के नाम 4.502 हैक्टर दर्ज है यानि पिता के नाम 2.251 हैक्टर भूमि दर्ज है। खाता संख्या 38/38 मुरब्बा नम्बर 7,26 की 12.525 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पिता के भाई सरवन सिंह के नाम 3.958 हैक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, यानि कुल 7.396 यानि 29.05 बीघा भूमि जो रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम दर्ज है वह पेश किये गये दस्तावेजों से संयुक्त परिवार की सम्पति है जो रेस्पोडेन्ट के दादा द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता एवं अपने पुत्रों यानि रेस्पोडेन्ट के पिता के भाईयों गुरदेव सिंह एवं सरवन सिंह वगैरा के नाम से भी कय करनी प्रमाणित है। इस प्रकार गुरमंगत सिंह के नाम दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति दस्तावेजों से प्रमाणित है। इस आशय के शपथ पत्र भी संयुक्त परिवार सदस्यों द्वारा एवं सहखातेदारो द्वारा पेश किए गये है। विधि अनुसार गुरमंगत सिंह इस भूमि का एकल स्वामी नहीं है बल्कि रेस्पोडेन्ट का जन्म से ही गुरमंगत सिंह के नाम दर्ज भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है क्योंकि यह कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जायदाद है जिसे बिना विधिक आवश्यकता के न तो विकय किया जा सकता है और ना ही दान या अन्य तरीके से मुन्तकिल किया जा सकता है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु के बाद जरिए विरासतन इन्तकाल संख्या 487 दिनांक 01.05.2018 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्सा बराबर यानि 1/3 आई है एवं सहकाश्तकार प्रत्येक का हिस्सा पर संयुक्त कब्जा है। तहसीलदार द्वारा जो विरासतन इन्तकाल बहिस्सा बराबर इन्तकाल संख्या 487/01.05.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है वह सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अपीलार्थी दौराने बहस स्वयं अर्जित सम्पति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीयों की प्रतियां पेश की गई जो निम्नानुसार है।

1. दिनांक 23.12.1966 जरिये बैयनामा माहला सिंह वल्द जैला सिंह कौम रायसिख सा. चक 5 सी.सी. तहसील पदमपुर से मुरब्बा नम्बर 26 की 7 बीघा 17.05 बिस्वा भूमि सर्वण सिंह –गुरमंगत सिंह पिसरान लक्षमण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर द्वारा कय की गई।
2. दिनांक 18.11.1974 जरिये बैयनामा वरयाम सिंह पुत्र माघ सिंह जाति रायसिंख साकिन चक 5 सी.सी. तहसील पदमपुर से मुरब्बा नम्बर 41 की 15 बीघा 17 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा गुरमंगत सिंह पुत्र लक्षमण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर द्वारा कय की गई।
3. दिनांक 17.05.1967 जरिये बैयनामा बागासिंह पुत्र जला सिंह जाति रायसिंख साकिन चक 5 सी.सी. तहसील पदमपुर से मुरब्बा नम्बर 26 की 7 बीघा 17 बिस्वा सखन सिंह –गुरमंगत सिंह पुत्र लक्षमण सिंह के पिता गुरमंगत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर द्वारा कय की गई।
4. दिनांक 15.05.1975 जरिये बैयनामा दलजिन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिंख व जरिये मुखत्यार खास प्यारा सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 सीसी तहसील पदमपुर से मुरब्बा नम्बर 08 की 6 बीघा 05 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा गुरमंगत सिंह पुत्र लक्षमण सिंह के पिता गुरमंगत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर द्वारा कय की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इसके खण्डन करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पिता द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार संयुक्त परिवार में होते अपीलार्थीगण के दादा जो पंजाब से भूमि विकय कर आये थे उससे उक्त भूमि कय की है जो हिन्दु उत्तराधिकार संयुक्त परिवार की भूमि है अपीलार्थी के पिता की स्वयं अर्जित भूमि नहीं है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 487/01.05.2018 जो विरासतन भरा गया है वह विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 27.04.2018 एवंम 01.05.2018 व इन्तकाल संख्या 487/01.05.2018 के खिलाफ पेश की है। अपील दो आदेशो के खिलाफ पेश नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील डबल आदेश के खिलफ पेश करने के कारण भी खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निम्न नजीर पेश की गई :–

Constitution of India, Art.226- Joint writ petition against judgment of Board of Revenue arising out of three separatc allotments for -different land-Held, separate writ, petitions ought to have been filed-R.A.A. rightly dismissed the joint appeal.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर दो आदेशो के खिलाफ अपील पेश नही की जा सकती से सम्बन्धित है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में जो दो आदेश दर्शाये गये है वह एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2018 एवंम दूसरा इन्तकाल संख्या 487/01.05.2018 से सम्बन्धित है। इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत दिनांक 27.04.2018 को प्रार्थना पत्र दर्ज पेश होने से दो आदेश नहीं हो जाते है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार पदमपुर द्वारा विरासतन इन्तकाल जो स्वीकृत किया गया है वो विधिसम्मत् प्रतीत होता है क्योंकि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत फेहरिस्त दस्तावेजात में उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 28/2005 अनवानी गुरमंगत सिंह आदि बनाम औंकार सिंह की प्रति भी पेश की है जिसमें अपीलार्थी के पिता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त भूमि सायलान के पिता लक्ष्मण सिंह के नाम जो भी भूमि दर्ज हुई है वह तमाम जददी जायदाद है। अपीलार्थी के पिता द्वारा संयुक्त परिवार में रहते हुए हिन्दु उत्तराधिकार संयुक्त परिवार में भूमि कय कर उस भूमि को बेचकर भूमि कय की गई है जो उसकी स्वयं अर्जित सम्पति प्रतीत नहीं होती है। इन्तकाल एक फिसिकल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के अधिकार तैय नहीं होते है। अपीलार्थी गिफ्टडीड के आधार पर अगर अपना हक समझता है तो वह सम्बन्धित सक्ष्म न्यायालय में दावा पेश कर अपना हक प्राप्त करने में स्वतन्त्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पदमपुर ने इन्तकाल संख्या 487/01.05.2018 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में फैंसला किया गया है विधिसम्मत् होने के फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तहसीलदार पदमपुर को आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner